ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218
PP. No.- 187-190

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- IV, Issues-30, YEAR- Oct.-Dec.-2023

नारी शक्ति वंदन अधिनियम–2023, महिला राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम

1. प्रोफेसर रजनीकांत पांडे
2. प्रीति द्विवेदी

1. पर्यवेक्षक, 2. शोध अध्येत्री– राजनीतिशास्त्र विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर (उ0प्र0) भारत

Received-17.12.2023, Revised-22.12.2023, Accepted-27.12.2023 E-mail: priti244.dwivedi@gmail.com

सारांश: ***21 वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है, जब बरसों पुरानी चुनौतियाँ हमसे नए समाधान माँग रही है और इसलिए हमें मानव केन्द्रित दृष्टिकोण के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। (प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी)***

'नारी तू नारायणी' – यह भारतीय मानस का मूल भाव है। आज उसी नारी शक्ति को समर्पित इस विधायी कार्य के जरिए नमन किया जा रहा है। "नारी शक्ति वंदन" अधिनियम जिसकी माँग वर्षों से चली आ रही थी अब जाकर चरितार्थ हुई है। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे देश की 50 प्रतिशत आबादी, जिसकी राजनीति में भागीदारी आंशिक थी अब अपने हक के लिए खड़ी हो सकती है। महिला आरक्षण बिल एक ऐतिहासिक बिल है हालांकि इसके पूर्व की सरकारों ने भी इस विधेयक पर कार्य किया था।

कुंजीभूत शब्द– गौरव गाथा, पाताल, चरितार्थ, उत्कर्ष, गहराई, स्पर्धा, अपकर्ष, भविष्य, प्राचीनतम काल, त्याग, संयम, आत्मदान ।

हम भारत में महिलाओं की राजनीति में आरक्षण की पृष्ठभूमि की बात करें तो इसमें पूर्व समय से ही आवाज उठती आयी है। इस आरक्षण का मुद्दा भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन से जुड़ा है। 1931 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री को लिखे अपने पत्र में नए संविधान में महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त रूप से जारी आधिकारिक ज्ञापन में बेगम शाह नवाज और सरोजनी नायडु ने कहा कि किसी भी प्रकार के अधिमान्य या पक्षपातपूर्ण उपचार की माँग करना राजनीतिक स्थिति की पूर्ण समानता के लिए भारतीय महिलाओं की सार्वभौमिक माँग की अखण्डता का उल्लंघन करता होगा।

महिला आरक्षण पर कुछ समितियाँ भी बनी जो महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए विभिन्न सुझाव दिए। भारत में महिलाओं की स्थिति पर 1971 में एक समिति बनी थी। इस अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष, 1975 से पहले महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध के बाद बनाया गया था। इसके बाद, देश के कई राज्यों ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण की घोषणा शुरु कर दी।

सन् 1987 में दूसरी समिति मार्गरेट अल्वा समिति का गठन हुआ। इसमें सरकार ने तत्कालीन केन्द्रीय मंत्री मार्गरेट अल्वा की अध्यक्षता में 14 सदस्यीय समिति का गठन किया। समिति ने वर्ष 1988 में प्रधानमंत्री को महिलाओं के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना, 1988–2000 प्रस्तुत की साथ ही समिति द्वारा प्रस्तावित 353 सिफारिशों में निर्वाचित निकायों में महिलाओं के सीटों के आरक्षण का सुझाव भी शामिल था।

तीसरा प्रमुख था सन् 1988 की सिफारिश जिसमें महिलाओं को पंचायत से लेकर संसद स्तर तक आरक्षण प्रदान किया जाये। इन सिफारिशों ने ही संविधान में 73वें और 74वें संशोधन के ऐतिहासिक अधिनियम का मार्ग प्रशस्त किया, जो सभी राज्य सरकारों को पंचायत राज्य संस्थानों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें और सभी स्तरों पर अध्यक्ष के कार्यकालों में एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का आदेश देता है। पंचायती राज्य संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में एक तिहाई सीटें आरक्षित है।

भारत की राजनीति में महिला आरक्षण की पृष्ठभूमि – भारतीय राजनीति में महिलाओं के लिए आरक्षण का मुद्दा भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन से जुड़ा है। सन् 1931 में बेगम शाहनवाज, सरोजनी नायडु ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। जिसमें महिलाओं के लिए राजनीति में समानता की माँग की गयी। संविधान सभा की बैठकों में भी महिला आरक्षण के मुद्दे पर कई बार चर्चा भी हुई। सन् 1971 में नेशनल एक्शन कमेठी ने महिला प्रतिनिधित्व पर जोर दिया था। उसके पश्चात् सन् 1988 में महिलाओं के लिए नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान बनाया गया जिसमें पंचायत स्तर से संसद तक महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की गयी थी। आखिकार 73वें और 74वें संविधान संशोधनों के तहत एक तिहाई सीटें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के महिलाओं के लिए आरक्षित है। कई राज्यों के स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित है। जैसे– महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड और केरल आदि।

राजनीतिक स्तर पर महिला आरक्षण बिल की शुरुआत समय–समय पर की जाती रही है। महिला आरक्षण बिल 1996 में पहली बार एच0डी0 देवगौड़ा की सरकार में पेश किया गया लेकिन यह बिल पारित नहीं हो सका था। इस बिल को 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश हुआ था। इस बिल में संसद और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान था। इस 33 प्रतिशत आरक्षण के भीतर ही अनुसूचित जाति (एस0सी0) अनुसूचित जनजाति (एस0टी0) के लिए उप आरक्षण का प्रावधान था लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं था।

इस बिल में प्रस्ताव था कि लोकसभा के हर चुनाव के बाद आरक्षित सीटों को रोटेट किया जाना चाहिए। आरक्षित सीटें राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन के जरिए आवंटित की जा सकती है। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेई की सरकार ने 1998 में लोकसभा में फिर महिला आरक्षण बिल को पेश किया था। परन्तु इस बिल का भी विरोध किया गया जिस कारण से यह बिल पारित नहीं हो सका। इसके पश्चात् इसे 1999, 2002 और 2003–2004 में भी पारित कराने की कोशिश की गई थी लेकिन

अनुरूपी लेखक / संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- IV, Issues-30, YEAR- Oct.-Dec.-2023

सफल नहीं हुई।

इसके पश्चात् 2008 में इस बिल को 108वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में राज्यसभा में पेश किया। राज्यसभा में 09 मार्च, 2010 को बिल पारित हो गया परन्तु लोकसभा में यह बिल पास नहीं हो सका।

19 सितम्बर, 2023 भारत के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया। इस दिन मोदी सरकार ने नई संसद में पहला विधेयक महिला आरक्षण को पेश किया। चूँकि महिला मतदाता वर्तमान समय में बढ़–चढ़कर भागीदारी कर रही हैं इसलिए इनके राजनीतिक हितों की अनदेखी नहीं की जा सकती थी। चूँकि महिलाओं को 1992 में ही पंचायत तथा नगरपालिकाओं में 1ध्3 आरक्षण का प्रावधान देकर राजनीति के क्षेत्र में उनके सहयोग की अभिलाषा की गई थी जिसका सकारात्मक परिणाम भी समाज को देखने के लिए मिला।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम–2023 – 17वीं लोकसभा के आँकड़ों के अनुसार भारत में पुरुष वोटरों की संख्या 46.8 करोड़ है और महिला वोटरों की संख्या 43.2 करोड़ है। इस स्थिति में महिलाओं के बिना भारत जैसे विशाल लोकतान्त्रिक देश को चलाना सम्भव नहीं है। इसलिए नए संसद भवन के विशेष सत्र के पहले दिन (18 सितम्बर, 2023) की कार्यवाही के दौरान कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिला आरक्षण बिल को संसद के समक्ष पेश किया। ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट–2022 के अनुसार, राजनीतिक विभाजन (संसद और मंत्री पर महिलाओं का प्रतिशत) आयाम में भारत 146 में से 48वें स्थान पर है। वर्तमान में भारतीय संसद में केवल लगभग 14.4 प्रतिशत सदस्य महिलाएं हैं, जो अब तक की सबसे अधिक संख्या है। 2019 के चुनाव में वोट शेयर में सुधार हुआ। इस युवा चुनाव में पुरुषों के बराबर ही महिलाओं ने भी मतदान किया, जो राजनीति में लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है।

नारी अस्य समाजस्य, कुशल वास्तुकारा अस्ति – (नारी समाज की आदर्श शिल्पकार है) वर्तमान में लोकसभा में महिलाओं की संख्या 15 प्रतिशत से भी कम है तथा राज्यसभा में इनकी संख्या 14 प्रतिशत से भी कम है। अगर हम विधानसभाओं की बात करें तो वर्तमान समय में अनेक ऐसे विधानसभाएं हैं जिनमें महिला विधायकों की संख्या 10 प्रतिशत से भी कम है जैसे आन्ध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र एवं उड़ीसा। ये ऐसे राज्य हैं जहाँ महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10 प्रतिशत से भी कम है।

पहली लोकसभा में महिलाओं की संख्या 5 प्रतिशत से भी कम थी जिसमें 24 सदस्य थे जो कि वैश्विक स्तर पर महिलाओं की भागीदारी 24 प्रतिशत थी। महिलाओं के सशक्तिकरण से ही देश और समाज शक्तिशाली बनता है। नारी किसी भी राष्ट्र के लिए उसके आँखों के समान है। इसी भाव को मुखर करते हुए महिला सशक्तिकरण को चरितार्थ करते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 को लागू किया गया।

महिला आरक्षण विधेयक का मुद्दा 25 वर्ष पुराना है, लेकिन हर बार विरोध होने की वजह से यह लागू नहीं हो पाया। ''नेशनल फेडरेशन ऑफ इण्डियन वुमेन'' ने 2021 में महिला आरक्षण बिल को फिर से पेश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। नवम्बर 2022 में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के नेतृत्व वाली पीठ ने 'नेशनल फेडरेशन ऑफ इण्डियन वुमेन'' द्वारा जारी की गई याचिका को स्वीकार करने के बाद केन्द्र सरकार से 06 सप्ताह के अन्दर जवाब देने के लिए कहा गया लेकिन यह सुनवाई मार्च 2023 तक टाल दी गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस ऐतिहासिक बिल को मोदी सरकार ने संसद में पेश किया।

देश की महिलाओं के लिए नीतियाँ बनाते समय महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन महिलाओं की गिरती हिस्सेदारी की वजह से यह मुश्किल हो गया है। ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 2021 के आँकड़े के अनुसार भारतीय राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी 13.5 प्रतिशत से कम हो गई है। पंचायत से लेकर राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी काफी कम है। वर्तमान समय में महिलाओं की हिस्सेदारी बहुत कम है और महिलाओं का कल्याण करने के लिए महिलाओं की साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महिलाओं की हिस्सेदारी को 33 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा।

भारत में महिला विधायकों की स्थिति – वर्तमान समय में लोकसभा में 78 महिल सांसदों (कुल सीट 543) को चुना गया था जो कि 75 प्रतिशत से भी कम है। राज्यसभा में 224 सदस्यों में से 24 महिला सांसद है। सरकारी आँकड़ों के अनुसार राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी 14 प्रतिशत ही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम–2023 के पारित होने के पश्चात् लोकसभा में महिलाओं की कुल संख्या 181 हो जाएगी। इसका तात्पर्य है कि अब संसद और विधानसभाओं में हर तीसरी सदस्य महिला होगी।

महिला आरक्षण बिल – 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' यह 128वॉ संविधान संशोधन विधेयक है। यह बिल लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। इस विधेयक में संविधान के अनुच्छेद 239।। के तहत राजधानी दिल्ली को विधानसभा में भी महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। दिल्ली के अलावा अन्य राज्य की भी विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। इस बिल में अनुसूचित व अनुसूचित जनजाति महिलाओं को कोटे में ही कोटा दिया गया है अर्थात् आरक्षित सीटों में से 28 सीटें अनुसूचित जाति और 16 सीटें अनुसूचित जनजाति महिलाओं को दी जाएगी। राज्यसभा और जिन राज्यों में विधानपरिषद है वहाँ महिला आरक्षण लागू नहीं होगा। ये बिल सिर्फ लोकसभा और विधानसभाओं के लिए लागू होगा।

महिला आरक्षण विधेयक को 15 सालों के लिए लागू किया जाएगा। इसमें हर आम चुनाव के बाद रिजर्व सीटों को रोटेशन किया जाएगा। उदाहरण के लिए एक लोकसभा में 33 प्रतिशत सीटों पर महिला का अधिकार है, तो अगले–चुनाव के बाद महिलाओं को 34 में से 66 सीटों पर और अगले चुनाव में बाकी बची हुई (67 से 100) सीटों पर आरक्षण मिलेगा।

वर्तमान बिल में महिला आरक्षण को 15 सालों के लिए लागू किया गया है। इसके बाद संसद चाहे तो महिला आरक्षण को आगे बढ़ा सकती है जैसे जाति आधारित आरक्षण को 10 सालों के लिए लागू किया गया था और वह अभी तक जारी है। महिला आरक्षण को लागू करना परिसीमन प्रक्रिया पर निर्भर करता है। अनुच्छेद 334 (ए) के तहत आरक्षण के लिए परिसीमन अनिवार्य होगा।

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- IV, Issues-30, YEAR- Oct.-Dec.-2023

इस विधेयक में कुछ शर्तें भी रखी गई हैं जिसके अनुसार महिलाओं के लिए आरक्षण नई जनगणना के बाद परिसीमन होगा, उसके पश्चात् महिला आरक्षण लागू होगा अर्थात् इसमें पहली शर्त यह है कि इसको लागू करने के पहले जनगणना होगी और उसके बाद परिसीमन होगा। इसलिए यह आरक्षण 2024 के चुनाव के बाद ही लागू होगा। इसकी दूसरी शर्त है कि आरक्षण शुरु होने के 15 साल बाद प्रभावी होना बंद हो जाएंगे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि संसद और विधानमण्डल में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण नहीं दिया जाएगा। दरअसल इनको आरक्षण के अन्दर ही आरक्षण दिया जाएगा जैसे लोकसभा में 84 सीटें अनुसूचिज जाति और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है तो इस कानून के अनुसार 84 अनुसूचित जाति सीटें में से 33 प्रतिशत यानि 28 सीटें अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होगी इसी तरह 47 सीटों में से 16 सीटें अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इस कानून में पिछड़ी जाति वर्ग के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। लोकसभा की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सीटों को हटाने के बाद 412 सीटें बचेंगी जिस पर सामान्य तथा पिछड़ी जाति के उम्मीदवार लड़ते हैं। इन सीटों पर 33 प्रतिशत आरक्षण यानि 137 सीटें आरक्षित की जाएगी।

सन् 1996 में जब ये विधेयक पेश किया गया था तो इसके प्रस्ताव में स्पष्ट तौर पर लिखा गया था कि इसे सिर्फ 15 साल के लिए ही लागू किया जाएगा। इसके बाद इसके लिए फिर से विधेयक लाकर संसद के दोनों सदनों से पारित कराना होगा। महिला आरक्षण की 15 साल की अवधि लोकसभा में इसके लागू होने के बाद ही शुरु होगी। अगर ये 2029 में लागू हो जाता है तो ये 2044 तक लागू रहेगा। इसके बाद दुबारा विधेयक लाना होगा और पूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा।

महिला आरक्षण लागू होने के बाद लोकसभा में मौजूदा सांसदों की संख्या के आधार पर संसद के निचले सत्र में कम से कम 181 महिला सांसद होंगी। वर्तमान में लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी, 15 फीसदी से भी कम है। वर्तमान में लोकसभा में 78 महिला सांसद ही है। परिसीमन के बाद संसद के सीटों की संख्या बढ़ती है तो महिला सांसदों की संख्या में भी इजाफा होगा। राज्यों की बात की जाए तो ज्यादातर विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 15 प्रतिशत से भी कम है। देश के 19 राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी 100 फीसदी से भी कम है। राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 के अनुसार, भारत राजनीतिक सशक्तिकरण में 146 में से 48 वें स्थान पर है। इस रैंक के बावजूद भारत का स्कोर (0.267) काफी कम है। इस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग वाले कुछ देशों का स्कोर काफी बेहतर है। उदाहरण के लिए आइसलैण्ड 0.874 के स्कोर के साथ पहले स्थान पर है और बांग्लादेश 0.546 स्कोर के साथ 9 वें स्थान पर है।

महिला आरक्षण विधेयक के पक्ष में तर्क –

1. नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं को आरक्षण दिए जाने के कारण इनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व में वृद्धि होगी तथा महिलाएं घरेलू के साथ–साथ राजनीतिक जीवन में भी अपनी कीर्तिमान स्थापित करेंगी।
2. महिलाओं का राजनीतिक जीवन में उनका नेतृत्व भी बढ़ेगा।
3. आरक्षण का तीसरा लाभ यह भी हो सकता है कि इससे राजनीति को अपराध मुक्त करने की दिशा में भी एक पहल हो सकता है। बलात्कार, हत्या, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ ऐसे अनेक गम्भीर अपराध है जिससे महिलाएं मुखर तौर पर इसको सार्वजनिक करके अपराधियों पर कार्रवाई करने के लिए अपने राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग कर सकती है।
4. महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ने के साथ–साथ चुनावों में महिलाओं का वोट शेयर भी बढ़ेगा।
5. महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ने के कारण राजनीतिक नेतृत्व और निर्णय लेने में लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा जिससे पितृसत्ता की जड़े थोड़ी कमजोर होंगी।

महिला आरक्षण के विरुद्ध तर्क –

1. पहला विरोध इस कारण से भी हो रहा है कि महिलाओं के लिए जो सीटें आरक्षित की गई है वह संविधान की समानता की गारण्टी के विपरीत है क्योंकि इसे योग्यता के आधार पर प्रतिस्पर्धा की कमी के रूप में माना जा रहा है।
2. दूसरा विरोध इस वजह से भी किया जा सकता है कि महिला जाति समूहों की तरह एक समुदाय नहीं है, इसलिए जाति आधारित आरक्षण के साथ तुलना करना अनुचित है।
3. तीसरा विरोध इस वजह से भी किया जा रहा है कि इस आरक्षण बिल में पिछड़ी जाति महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है बल्कि इनको सामान्य सीटों के साथ ही जोड़ा गया है। आरक्षण से सम्बनिधत लोगों का कहना है कि पिछड़ा वर्ग की महिलाएं महिला आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
4. यह विधेयक राज्यसभा और विधानपरिषदों में महिलाओं के लिए आरक्षण का विस्तार नहीं करता है।
5. महिला आरक्षण का कार्यान्वयन जनगणना और परिसीमन प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है, जिसमें देरी हो सकती है या राजनीतिक रूप से संवेदनशील हो सकता है।
6. महिलाओं के प्रतिनिधित्व को परिवार का पुरुष सदस्य ही इस्तेमाल करता है जैसा कि पंचायतों के चुनावों में होता आ रहा है।
7. इसका यह भी तर्क दिया जा सकता है कि महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने से मतदाताओं की पसन्द सीमित हो जाती है, जो राजनीतिक दलों के भीतर महिला आरक्षण जैसे विकल्पों का सुझाव देती है।

महिला आरक्षण को सही तरीके से लागू करने के लिए कुछ कदम उठाये जा सकते हैं–

1. जागरुकता अभियानों के माध्यम से महिलाओं को उनके अधिकारों और राजनीतिक भागीदारी के महत्व के बारे में शिक्षित करे।
2. महिलाओं के लिए एक सुरक्षित राजनीतिक वातावरण बनाने के लिए नीतियों और कानूनी उपायों के साथ लिंग आधारित हिंसा और

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- IV, Issues-30, YEAR- Oct.-Dec.-2023

उत्पीड़न का समाधान करना चाहिए।

3. अधिक से अधिक महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व जैसे चुनावी सुधार लागू करना होगा।

4. अधिक से अधिक महिला उम्मीदवारों को प्रोत्साहित करने के लिए अन्तर–पार्टी लोकतंत्र को स्थापित करना चाहिए। महिला स्व–सहायता समूहों को मजबूत करना, उच्च पदों के लिए सम्भावित उम्मीदवारों को तैयार करने के लिए जमीनी स्तर पर महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए।

5. महिला एजेंसियों का समर्थन करना, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने वाले संगठनों को मजबूत करना।

6. इसमें सबसे प्रमुख सुझाव यह है कि इसमें युवा महिलाओं को शामिल किया जाए जिससे कि लड़कियों के भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सकें जैसे– कॉलेजों और विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति में या राजनीतिक बहस में लड़कियों की भागीदारी होनी चाहिए।

विश्व की संसद में महिलाओं की स्थिति और भारत – भारत में महिलाओं को और ताकतवर बनाने की जरुरत है। संसद में महिलाओं का औसत देखे तो विश्व का औसत जहाँ 22.6 प्रतिशत है वही अन्तर्राष्ट्रीय संस्था आई0पी0यू0 (इण्टर पार्लियामेंट्री यूनियन) की रिपोर्ट के अनुसार, संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में दुनिया के 193 देशों में भारत का स्थान 148 वॉ है।

विश्व की संसद में महिलाओं के आँकड़े देखें तो रवांडा 63 फीसदी के स्तर पर है और नेपाल में 29.5 फीसदी महिलाएं संसद में हैं। अफगानिस्तान में 27.7 प्रतिशत और चीन की संसद में 23.6 प्रतिशत महिला सांसद हैं। पाकिस्तान की संसद में भी 20.6 प्रतिशत महिला सांसद हैं। वहीं हम भारत की बात करें तो लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी 15 प्रतिशत से भी कम है।

अन्य देशों में महिलाओं को आरक्षण – अगर आरक्षण की बात करें तो भारत के अलावा अन्य देशों में भी महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है। यूरोपीय देशों में भी यह व्यवस्था बहुत पहले से लागू किया गया है जिसका परिणाम यह रहा है कि आज यूरोपीय देशों में महिलाओं की भागीदारी बराबर हो गई है–

- पाकिस्तान की नेशनल असेम्बली में महिलाओं के लिए 60 सीटों का आरक्षण है और बांग्लादेश में 50 सीटें आरक्षित हैं।
- नेपाल की संसद में महिलाओं के लिए पहले से ही 33 प्रतिशत सीटों का आरक्षण है।
- तालीबानी शासन के पहले अफगानिस्तान में महिलाओं को 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया था।
- सऊदी अरब अमीरात में भी 50 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।
- अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिकी देशों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

निष्कर्ष – वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर देखा जाए तो महिला आरक्षण बिल का लागू करना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार का आरक्षण देना जरुरी ही था जिससे कि महिलाओं का नेतृत्व राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ सके। हालांकि इस आरक्षण को केवल लोकसभा और विधानसभा तक ही सीमित नहीं करना चाहिए बल्कि हर क्षेत्र में कुछ समय तक के लिए इस आरक्षण की व्यवस्था को लागू करना चाहिए जिससे महिलाओं का एक समान स्तर तक नेतृत्व पहुँच सकें। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस आरक्षण को अगले जनगणना के बाद लागू करने की व्यवस्था की गई है और नई जनगणना के पश्चात् परिसीमन होगा इसके बाद ही इस अधिनियम को लागू किया जा सकता है। इस प्रकार देखा जाए तो 2026 के पहले परिसीमन होना असम्भव है क्योंकि कोविड–19 के कारण 2021 में होने वाली जनगणना अभी तक नहीं हो पाई है और नई जनगणना होने के बाद 2026 में ही इस आरक्षण को लागू किया जाएगा।

इस प्रकार देखा जाए तो महिला आरक्षण बिल महिलाओं के राजनीतिक जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने में मील का पत्थर साबित हो।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. योजना, अक्टूबर, 2023 पृ0सं0 28.
2. दृष्टि आई0ए0एस0।
3. दैनिक जागरण।
4. Navbharattimes.indiatimes.com
5. https://www.insightsoindia.com
6. दृष्टि द विजन, करेंट अफेयर्स नवम्बर, 2023 पृ0सं0 24.
7. दृष्टि द विजन, नवम्बर पृ0सं0 25.

*****